



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177824

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 459

सन् 2026

हरेंद्र सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राजीव सेन

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विवेक कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय ने आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी और इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत के तहत, दिनांक 23.04.2026 के आदेश की शर्तों का पालन करते हुए, आवेदक ने अपने बंधपत्र भी जमा कर दिए हैं और विवेचना अधिकारी के सामने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 30.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव सेन और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 269/2025 के अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), बी.एन.एस, थाना- मसूरी, ज़िला गाज़ियाबाद में अग्रिम ज़मानत के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और कथित लेन-देन में सह-अभियुक्त करुणा की मदद करने की भूमिका आवेदक की दी गई है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-अभियुक्त करुणा ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता को बहला-फुसलाकर एक अचल संपत्ति बेचने के झूठे वादे पर छह किशतों में ₹13,60,000/- लिए थे। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना एजेंसी या न्यायालय को जरूरत होगी, वह पेश होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और उनका कहना है कि आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

5. यह बताया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम ज़मानत पर फैसला करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पिछले इतिहास, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, साथ ही अभियुक्त की सटीक भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए।



6. यदि उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक - **हरेंद्र सिंह** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे दिनांक 27.02.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतदार प्रस्तुत करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय से छूट मिलने के अलावा, तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. इस प्रकरण को दिनांक 27.02.2026 को नए प्रकरण के तौर पर सूचीबद्ध करें।

9. आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना संपूर्ण आपराधिक इतिहास अभिलेख पर लाने हेतु अनुपूरक शपथपत्र दाखिल करे।"

3. आज जब प्रकरण की सुनवाई हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक ने एक अनुपूरक शपथपत्र के जरिए अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहले के आदेश में दी गई दलीलों को दोहराया। आवेदक का यह भी कहना है कि उसका एक और प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है।
6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि अचल संपत्ति बेचने के झूठे वादे के नाम पर 13,60,000/- रुपये की धोखाधड़ी की गई, जबकि आवेदक और अन्य अभियुक्त जानते थे कि संबंधित बिक्री विलेख फ़र्जी थी।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदक द्वारा अपने आपराधिक इतिहास के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
8. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।
9. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। मुख्य आरोप सह-अभियुक्त करुणा पर हैं। आवेदक इस न्यायालय के आदेशों के तहत अंतरिम अग्रिम ज़मानत पर है और यह नहीं कहा गया है कि उसने इसका गलत इस्तेमाल किया है। आवेदक के बारे में यह नहीं कहा गया है कि वह बिक्री विलेख से लाभान्वित हुआ है। आवेदक का दावा है कि उसे अपने खाते में कोई रकम नहीं मिली है।
10. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, खासकर इस तथ्य को कि आवेदक अंतरिम अग्रिम ज़मानत पर था और यह नहीं कहा गया है कि उसने इसका गलत इस्तेमाल किया है, मैं अंतरिम आदेश की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।
11. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
12. आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत को इसके द्वारा पुष्ट किया जाता है। अगर ऊपर बताए गए प्रकरण में आवेदक - **हरेंद्र सिंह** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे उसी शर्तों और नियमों पर अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, जो दिनांक 30.01.2026 के पिछले आदेश में तय की गई थीं।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुकला)

21 अगस्त, 2026

कुशल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।